न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

Title Suit 56/2014

आदेश

03-03-2021..वादी के अधिवक्ता की हाजिरी है। साथ ही वादी की ओर से लिखित बहस हेतु समयावेदन है। प्रतिवादी संख्या–2 के अधिवक्ता की हाजिरी है। अभिलेख आज प्रतिवादी संख्या–2 के आवेदन दिनांक 10.12.2020 एवं उसके प्रतिउत्तर पर आदेश हेतु नियत है।

प्रतिवादी अपने आवेदन में कहते हैं कि वादी ने यह वाद मद संख्या–2 में वर्णित भूमि का 2/45 हिस्सा प्राप्त करने हेतु तथा सर्वे जानकार अधिवक्ता से अलग डिक्री लेने हेतु दाखिल किया है। वाद भूमि खतियानी भूमि है जो प्रतिवादीगण के परदादा नन्हक राउत के नाम से दर्ज है। नन्हक राउत अपने एक मात्र पुत्र शिवनंदन राउत को छोड़कर मर गये। वादी की माँ शिवनंदन राउत की पुत्री है तथा शिवनंदन राउत की मृत्यु 1970 में हुई है। इसी आधार पर वादी ने यह बंटवारा वाद लाया है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में कहा है कि शिवनंदन राउत की मृत्यु 1950 के पूर्व हो गई है तथा उनकी पत्नी की भी एक वर्ष बाद मृत्यु हो गई। तद्नुसार शिवनंदन राउत की पुत्री का वाद भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.18 को एक आदेश इस आशय का हुआ था कि कोई संरचना वाद भूमि पर नहीं करना है। वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण कुल जमीन का 5/9 हिस्सा का हकदार है एवं वादी 2/45 हिस्सा के हकदार है। प्रतिवादी द्वारा विभिन्न कागजात इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि शिवनंदन राउत की मृत्यु 1950 के पूर्व हो गई है। प्रतिवादी का घर निर्माणरत है एवं उसे तथा उसके परिवार को बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है विगत वर्ष भारी वर्षा तथा ठंड के कारण उसका परिवार बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ है।इस आशय का शपथ पत्र भी देने को तैयार है कि यदि उक्त भूमि वादी के हिस्से में गया तो वह उसे खाली कर देगा । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त प्रश्नागत भूमि पर आवास निर्मित करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

वादी अपने प्रतिउत्तर में कहते है कि प्रतिवादी का उक्त आवेदन तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा यह आवेदन न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 11.10.18 को प्रभावित करने हेतु लाया गया है तथा वाद के विचारण को विलंब करने हेतु लाया गया है। उक्त प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.18 के आदेश के विरोध में अपीलीय न्यायालय में विविध अपील दाखिल किया गया जो विद्वान, न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.10.18 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया गया है। उक्त प्रतिवादी का घर गॉव में अच्छा बना हुआ है तथा यह कहना बिल्कुल गलत है कि उसे बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् सें प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या–2 का उक्त आवेदन खारिज करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा यह वाद मद संख्या–2 में वर्णित भूमि जो खाता संख्या–35 एवं 37 से संबंधित है तथा कुल रकबा 01 बीघा 08 कट्ठा 07 धुर है का 2/45 वॉ हिस्सा प्राप्त करने एवं डिक्री प्राप्त करने हेतु लाया गया है। प्रश्नागत भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खतियानी भूमि है। पूर्व में दिनांक 11.10.18 को इस न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर कोई निर्माण नहीं करने तथा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। यह बंटवारा वाद है तथा बंटवारा वाद में प्रश्नागत भूमि के एक–एक इंच पर, संयुक्तता की उपधारणा होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–2 का आवेदन स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के पश्चात प्रतिवादी संख्या–2 का दिनांक 10.12.2020 का आवेदन खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 19.04.21 वास्ते वादी के साक्ष्य हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश प्रथम, बगहा,